न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
पीठासीन अधिकारी मुरारी लाल शर्मा आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 06/2018 दायर दिनांक 12-07-2019

1. ताराचंद पुत्र जगना जाति जागिड़ निवासी सोटवारा तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू।
2. बंशीधर पुत्र जगना जाति जागिड़ निवासी सोटवारा तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू।
3. रमेश पुत्र जगना जाति जागिड़ निवासी सोटवारा तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू।
4. रामनिवास पुत्र जगना जाति जागिड़ निवासी सोटवारा तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू।
5. दुर्गी पत्नी जगना जाति जागिड़ निवासी सोटवारा तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू।

-आवेदक

बनाम

1. श्रीराम पुत्र धूडाराम जाति जागिड निवासीगण ग्राम सोटवारा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
2. बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मुकुन्दगढ जरिये शाखा प्रबन्धक।
3. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू।

-अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अं0धारा 251 ए रा0का0अधि0

वकील आवेदक- श्री किशोर कुमार जागिड
वकील अनावेदक- ----

निर्णय

दिनांक 25.02.2020

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम सोटवारा तहसील नवलगढ की सरहद में आराजी नये खसरा नम्बर 219 रकबा 1.16 हैक्टर स्थित है। उक्त आराजी आवेदकगण के कब्जे काश्त की भूमि है। वाके ग्राम सोटवारा तहसील नवलगढ की सरहद में आराजी नये खसरा नम्बर 899/218 रकबा 1.13 हैक्टर स्थित है उक्त आराजी अनावेदक संख्या 1 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। अनावेदक संख्या 1 उक्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। आवेदकगण की उपरोक्त कृषि भूमि के चारो तरफ खेत है उक्त भूमि में आने जाने के लिए रास्ता विद्यमान नही है। अनावेदकगण को अपनी उपरोक्त कृषि आराजी मे आने जाने के लिए व उपयोग उपभोग के लिए 10 फीट चौडे रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute necessity) है।

अनावेदक संख्या 1 की कृषि भूमि आवेदकगण की कृषि भूमि से सटकर पश्चिम में स्थित है तथा अनावेदक संख्या 1 की उक्त कृषि भूमि के पश्चिम में सटकर कटानी रास्ता विद्यमान है। जिसे संलग्न नजरी नक्शे में सुर्ख लाल रंग की लाईनों से ए से बी बिन्दु से दर्शित किया गया है। उक्त रास्ते से होकर अनावेदक संख्या 1 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 899/218 रकबा 1.16 हैक्टर की उतरी सीमा के सहारे सहारे संलग्न नजरी नक्शे में सुर्ख लाल रंग की लाईनों से दर्शित अनुसार सी से डी बिन्दू अनावेदकगण के खेत में आने जाने के लिए 12 फीट चौडा रास्ता कायम किया जाना आवश्यक है।

आवेदक की उक्त भूमि मे आने जाने के लिए कोई रास्ता नही है अनावेदकगण को अपनी उक्त कृषि भूमि में आने जाने व उपयोग-उपभोग के लिए रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। आवेदकगण द्वारा अनावेदक संख्या 1 की भूमि में से जो रास्ता चाहा है वह सबसे लघुतम, निकटतम व युक्तियुक्त है। आवेदकगण अनावेदक संख्या 1 को रास्ते से प्रभावित भूमि के बदले मान्य अदालत हाजा द्वारा निर्धारित प्रतिकर देने को तैयार है। आवेदकगण ने अपनी उक्त खातेदारी की भूमि मे आने जाने के लिए रास्ता हेतू

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

कई दफा अनावेदक संख्या 1 से निवेदन किया परन्तु अनावेदक संख्या 1 ने अनावेदकगण को अपनी उक्त कृषि आराजी मे से रास्ता देने से एकदम से इन्कार कर दिया है। इसलिए आवेदकगण को मान्य अदालत हाजा के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी अदालत हाजा के क्षैत्राधिकार में स्थित है व पक्षकारान भी अदालत हाजा के क्षैत्राधिकार मे निवास करते है इसलिए श्रीमानजी को उक्त प्रार्थना पत्र सुनने का पूरा-पूरा क्षैत्राधिकार प्राप्त है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष के संबंध में निवेदन किया कि आवेदकगण को अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 219 रकबा 1.16 हैक्टर में आने जाने के लिए अनावेदक संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 899/218 रकबा 1.13 हैक्टर की उतरी सीमा के सहारे सहारे संलग्न नजरी नक्शे में सुर्ख लाल रंग की लाईनों से दर्शित अनुसार **सी** से **डी** बिन्दु तक 12 फीट चौडा रास्ता दिये जाने एव रास्ते की भूमि को राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित किये जाने का आदेश फरमाये।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत बाद अवलोकन दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी अनावदेकगण की गई। अनावेदक नम्बर 1, लगायत 3 बावजूद सम्यक तामिल के अनुपस्थित न्यायालय रहने के फलस्वरूप इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार नवलगढ से मोका रिपोर्ट चाही गयी। तहसीलदार नवलगढ द्वारा मोका रिपोर्ट प्रस्तुत कर वर्णित किया है कि आवेदकगण के खसरा नम्बर 219 तक जाने के लिए वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में कोई भी कटानी रास्ता दर्ज नही है। आवेदकगण ने माण्डासी से सोटवारा मुख्य सडक से फटर खसरा नम्बर 899/218 की उतरी सीमा के सहारे-सहारे खसरा नम्बर 219 तक रास्ते की मांग की है। ग्राम सोटवारा के भूमि खसरा नम्बर 899/218 रकबा 1.13 हैक्टर खातेदार श्रीराम पुत्र धूडाराम जाति जागिड के दक्षिण सीमा के सहारे-सहारे रास्ता दिये जाने पर नलकूप बीच में आता है। इसिलए इस खसरा नम्बर 899/218 की उतरी सीमा के सहारे-सहारे ही मुख्य सड़क से खसरा नम्बर 219 के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। इसलिए आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए में वर्णित प्रावधानो के अनुसार होने से आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर फर्द मोका रिपोर्अ में वर्णित खसरा नम्बर 899/218 की उतरी सीमा के सहारे सहारे ए से बी बिन्दू अर्थात सड़क कसेरू से माण्डासी से जाने वाली से खसरा नम्बर 219 आवेदक के खेत तक रास्ता कायम किया जाना उचित है।

आदेश

आवेदकगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम सोटवारा की सरहद में स्थित भूमि ख. न. 219 में आने जाने के लिये तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/934 दिनांक 31.12.2019 में दर्शाय गये ए से बी बिन्दु नजरी नक्शे के अनुसार ग्राम सोटवारा के ख.न. 899/218 के उतरी सीमा के सहारे सहारे ए से बी बिन्दू तक 12 फीट चौडा रास्ता की प्रभावित भूमि की डीएलसी दर की दोगुनी राशि जमा होने पर प्रभावित भूमि को गै0मु0 रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 25.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2020.03.20 11:58:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: